


उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या: ११ / VII-3-19/66-एम0एस0एम0ई0/2013
देहरादून, दिनांक: 14 जून, 2019

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या:-30/XXXVI(3)/2013/62(1)/2012 दिनांक 28.01.2013 द्वारा जारी "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम-2012" की धारा-10 तथा शासन की अधिसूचना संख्या:-1104/VII-2-17/66-एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 31.10.2017 एवं "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली-2015" के नियम-6 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा उद्यम स्थापनार्थ को जारी की जाने वाली अनुज्ञा/अनापत्ति/अनुज्ञापन हेतु पूर्व निर्गत अधिसूचना दिनांक 31.10.2017 के अनुसूची-1, भाग-ग के क्रमांक-25 की प्रविष्टि निम्नानुसार जोड़ने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक संख्या:- 25	विभाग का नाम-	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम।	सेवा का स्तर	समय सीमा
		1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अंतर्गत विद्युत अधिष्ठापनों के मानचित्र, योजना का अनुमोदन।	स्थापना से पूर्व	7 दिन
		2. 650 वोल्ट से अधिक के विद्युत अधिष्ठापनों को उर्जित करने से पूर्व विनियम-43 के अंतर्गत मुख्य विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन।	संचालन से पूर्व	7 दिन
		3. विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 54 एवं विनियम 32 के अंतर्गत जनरेटिंग सैट्स का निरीक्षण एवं परीक्षण।	संचालन से पूर्व	7 दिन
	विद्युत सुरक्षा विभाग	4. विद्युत अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत अस्थाई विद्युत अधिष्ठापनों का निरीक्षण।	संचालन से पूर्व	7 दिन
		5. अस्थाई विद्युत अधिष्ठापनों का पुनः निरीक्षण।	संचालन से पूर्व	7 दिन
		6. 650 वोल्ट से अधिक के विद्युत अधिष्ठापनों के विस्तार अथवा फेर बदल का विनियम 43 के अंतर्गत मुख्य विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन।	संचालन से पूर्व	7 दिन
		7. मध्य एवं निम्न विभव अधिष्ठापनों का निरीक्षण एवं परीक्षण।	संचालन से पूर्व	7 दिन

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या: ११/ (1) / VII-3-19/66-एम0एस0एम0ई0/2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अपर मुख्य सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
- 2 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4 मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
- 5 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 6 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7 निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 8 निदेशक, विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
- 9 निजी सचिव-मा0 लघु उद्योग मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 10 समस्त महाप्रबंधक/प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक उद्योग।
- 11 निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(आनन्द स्वरूप)

अपर सचिव।